संख्या 900 /लो0नि0-1/03-18(एल0ए0)/2003

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,क्षेत्र-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 16 दिसम्बर, 2003

विषय:- देहरादून शहर में यूकेलिप्टस मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3326/24(24)यात्रा-उत्तरांचल/2003 दिनांक 28.7.2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में देहरादून शहर के यूकेलिप्टस मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 50.40 लाख के परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पाई गई धनराशि रू0 49.95 लाख (रू0 उन्नचास लाख पिचानब्बे हजार मात्र) के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में रूपये 5.00 लाख (रू0 पाँच लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि प्रश्नगत कार्य इसी अनुमोदित लागत में पूर्ण करा लिया जायेगा तथा इसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नहीं होगी ।

3. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टैण्डर विधायक नियम एवं शासन के अन्य विधायक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा । व्यय किसी अन्य कार्य पर न करके इसी अनुमोदित कार्य पर किया जायेगा ।

4. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का पुनः स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें । निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायं ।

...2..

7 कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुये लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते हुये समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें ।

9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनाँक 31-3-2004 तक करने के उपरान्त कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, और उक्त विवरण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

10. उक्त व्यय पर वालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्ष क-5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सडके-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राज्य सैक्टर-02-नया निर्माण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

11. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अ0शा0 संख्या- 2113/वित्त अनुभाग-3/2003 दिनाँक 11-12-2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव ।

संख्या 900 (1)/लो0नि-1:2003, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा प्रथम) उत्तरांचल इलाहाबाद/देहरादून ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र-2 लोक निर्माण विभाग, पौडी ।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी ।
4. निजी सचिव, मा0मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल ।
5. जिलाधिकारी/कोडाधिकारी, पौडी ।
6. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, 24 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
8. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन ।
9. लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव ।